न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :— मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
100 / 2022	25.03.2022	27.7.2023

उनवान

1. विक्रमसिंह पुत्र पन्नालाल जाति खाती निवासी ग्राम ढीकवाड तह0 नीमराना।
2. कृष्णा पुत्री पन्नालाल जाति खाती निवासी ग्राम ढीकवाड तह0 नीमराना।
3. जनती पत्नी पन्नालाल जाति खाती निवासी ग्राम ढीकवाड तह0 नीमराना।
4. जयप्रकास पुत्र पन्नालाल जाति खाती निवासी ग्राम ढीकवाड तह0 नीमराना।
5. भूपेन्द्र कुमार पुत्र पन्नालाल जाति खाती निवासी ग्राम ढीकवाड तह0 नीमराना।
6. रूपकिशोरी पुत्री पन्नालाल जाति खाती निवासी ग्राम ढीकवाड तह0 नीमराना।
7. मुकेश कुमार पुत्र दीनदयाल जाति खाती निवासी ग्राम ढीकवाड तह0 नीमराना।
8. महेश कुमार पुत्र दीनदयाल जाति खाती निवासी ग्राम ढीकवाड तह0 नीमराना।
9. शकुन्तला पुत्री दीनदयाल जाति खाती निवासी ग्राम ढीकवाड तह0 नीमराना।
10. सरवण पत्नी दीनदयाल जाति खाती निवासी ग्राम ढीकवाड तह0 नीमराना

वादीगण।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय, अलवर।
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार,नीमराना।

:— प्रतिवादीगण।

दावा दुरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88,188 आर0टी0एक्ट0

उपस्थिती:— 1 श्री मकरध्वज शर्मा एड0 वादीगण की ओर से।
2 प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा।

—::निर्णय::—

पत्रावली पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है--

1. वादीगण ने वाद पेशकर निवेदन किया कि आराजी ख.नं. हाल 34 / 0.21 वाके ग्राम ढीकवाड जो साबिक ख.नं. 527 / 22मिन रकबा 02 बीघा से संवत 2042 मे भू प्रबंध विभाग द्वारा कायम किया गया है। साबिक ख.नं. 527 / 22मिन रकबा 02 बीघा हम वादीगण के बुजुर्ग बोहडूराम पुत्र सेढूराम को भूमिहीन व गरीब होने के कारण राज्य सरकार द्वारा कृषि हेतु दिनांक 01.10.1975 को कृषि हेतु अलॉट की गइ तथा बाद अलॉटमेन्ट मौके पर दखल दिया गया,इसी दौरान हम वादीगण के बुजुर्ग बोहडूराम का देहान्त हो गया तो उक्त भूमि पर बोहडूराम के वारिस पन्नालाल, दीनदयाल पिता बोहडूराम खाती के नाम से संवत 2036 की जमाबंदी मे गैर खातेदारी का इन्द्राज कर दिया गया,नकल जमाबंदी संलग्न है। हम वादीगण के पिता पन्नालाल व दीनदयाल मौके पर 02 बीघा भूमि पर ही काश्त करते रहे तथा उनकी मृत्यु के बाद हम वादीगण काबिज काश्त है। लेकिन बंदोबस्त संवत 2042 मे कर्मचारीयों द्वारा साबिक ख.नं. 527 / 22 मिन रकबा 02 बीघा का नया ख.नं. 34 रकबा 0.21 हैक्टर कायम कर उसकी खातेदारी हम वादीगण के बुजुर्गो के नाम से दर्ज कर दी गई लेकिन बंदोबस्त विभाग द्वारा ख.नं. 34 का रकबा साबिक रकबे मे अनुसार 50 एयर दर्ज करना चाहिए था परन्तु गलती व लापरवाही से 29 एयर रकबा कम करते हुए 21 एयर दर्ज कर दिया और उक्त 21 एयर रकबा को हम वादीगण की आराजी से लगती हुई साबिक ख.नं. 22 मिन रकबा 09--09 बिस्वा मे सामिल कर

उसके नये नं0 41/0.20, 31/0.31, 36/0.06, 39/01.65, 42/0.58, 43/0.23 किता 06 कुल रकबा 03.03 हैक्टर कायम किया गया जबकि साबिक रिकॉर्ड के अनुसार 02.36 हैक्टर दर्ज करना चाहिए था परन्तु लापरवाही से 67 एयर रकबा बढ़ाते हुये 303एयर दर्ज कर दिया गया जिसमे 29 एयर रकबा हम वादीगण का हाल ख.नं. 39/01.65 मे शामिल कर दिया गया जो हम वादीगण के हकूकों के विरूद्ध बातिल व बेअसर है। इसलिए हम वादीगण द्वारा यह दावा इस्तकरारहक व दुरूस्ती इन्द्राज का पेश करना आवश्यक हुआ है।

2. अतः मे वादीगण ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किये जाने की प्रार्थना कि है:-

(क) डिक्री इस्तकरारहक व दुरूस्ती इन्द्राज इस अमर की जारी की जावे कि ख. नं. हाल 39/01.65 सिवायचक बारानी वाके ग्राम ढीकवाड तह0 नीमराना मे से 0.29 हैक्टर रकबा कम किया जा कर उसका रकबा 01.65 के स्थान पर 1.36 हैक्टर दर्ज किया जावे तथा उक्त 29 एयर रकबा के हिस्सेनुसार खातेदार हम वादीगण को घोषित किया जाकर उक्त 29 एयर रकबा को हम वादीगण के ख0नं0 34 वाके ग्राम ढीकवाड मे शामिल किया जाकर उसका रकबा 0.21 के स्थान पर 0.50 दर्ज किया जावे एंव इसी अनुसार हाल राजस्व रिकॉर्ड व जमाबंदीयात व ख0गिरदावरी व राजस्व नक्शा मे संशोधन करने का आदेश फरमाया जावे।

(ख) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

(ग) दीगर दादरसी जो बनजदीक अदालत श्रीमान हो अता फरमाई जावे।

3. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया । वाद तामिल प्रति0 की ओर से पैरोकार सरकार ने जवाब दावा पेश किया कि वादीगण का वाद गलत है स्वीकार नही है। मौके के स्थिति के अनुसार सही अंकन किया गया है,वादीगण का कोई रकबा कम नही किया है। दावा वादीगण काबिल खारिज है, खारिज फरमाया जावे।

4. जवाब प्रस्तुत होने पर तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत की गई। वादीगण ने अपने वाद की पुष्टि मे विक्रमसिंह पुत्र पन्नालाल का शपथ पत्र पी.डब्लू. 01, महेश कुमार पुत्र दीनदयाल पन्नालाल का शपथ पत्र पी.डब्लू. 02 पेश किये है तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबंदी संवत 2073-76 ग्राम ढीकवाड प्रदर्श 01, नकल नक्शा ट्रैस प्रदर्श 02, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 प्रदर्श 03, नकल जमाबंदी संवत 2036 प्रदर्श 04, 05, 06, 07, नकल जमाबंदी संवत 2032 प्रदर्श 08, नकल जमाबंदी संवत 2073-76 प्रदर्श 09 नकल नोटिस धारा 80 सी0पी0सी0प्रदर्श 10 पेश किये है।

5. वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया,तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है:-

तनकी नं0 01:- आया ख0नं0 हाल 34/0.21 वाके ग्राम ढीकवाड मे स्थित है जो साबिक ख.नं. 527/22मिन रकबा 02 बीघा से कायम किया गया है? इस तनकी का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 03 से साबित है कि हाल ख0नं0 34/0.21 साबिक ख0नं0 527/22मिन रकबा 02 बीघा से कायम किया गया है।यह तनकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकी सं. 02:- आया संवत 2036 की जमाबंदी मे साबिक ख.नं. 527/22मिन रकबा 02 बीघा पन्नालाल, दीनदयाल पिता बोहडूराम खाती की गैर खातेदारी मे

कारी
बर)

दर्ज रिकॉर्ड है? इस तनकी का भार वादीगण पर था. नकल जमाबंदी संवत 2036 प्रदर्श 06 के अनुसार यह तनकी सिद्ध होती है यह तनकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकी नं. 03:– आया भू प्रबंध विभाग द्वारा संवत 2042 मे साबिक ख.नं. 527/22 मिन रकबा 02 बीघा से कायम हाल ख.नं. 34 का रकबा साबिक रकबा अनुसार 50 एयर दर्ज होना चाहिए था भू प्रबंध विभाग द्वारा गलती व लापरवाही से 29 एयर रकबा कम किया जाकर 21 एयर दर्ज किया है जो मौका एंव साबिक रिकॉर्ड के अनुसार गलत है जो दुरूस्त होने योग्य है? इस तनकी का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 प्रदर्श 03 एंव नक्शा ट्रैस प्रदर्श 02, नकल जमाबंदी संवत 2036 प्रदर्श 06 के अनुसार साबिक ख.नं. 527/22मिन रकबा 02 बीघा पन्नालाल, दीनदयाल पि0 बोहडूराम खाती सा0देह गैर खातेदार दर्ज है के अनुसार 02 बीघा के मैट्रिक प्रणली के अनुसार रकबा 50 एयर बनता है, परन्तु भू प्रबंध विभाग द्वारा हाल रकबा 29 एयर कम दर्ज किया जाकर वादीगण का हाल रकबा 21 एयर दर्ज किया गया है जो गलत है भू प्रबंध विभाग द्वारा उक्त 29 एयर रकबे को साबिक ख.नं. 22मिन रकबा 09–09 बिस्वा से कायम हाल ख0नम्बरान 41/0.20, 31/0.31, 36/0.06, 39/01.65, 42/0.58, 43/0.23 किता 06 कुल रकबा 03.03 हैक्टर मे सामिल कर दिया जबकि मैट्रिक प्रणाली के अनुसार 303 एयर दर्ज किया गया है,जो गलत है। नक्शा ट्रैस के अनुसार वादीगण का हाल ख.नं. 34 से लगता हुआ हाल ख0.नं. 39/01.65 सिवायचक बारानी है इसी नं0 मे वादीगण के रकबे को सामिल किया गया है। जिस की दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः यह तनकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकी नं0 04:– आया सरकारी भूमि के साबिक ख0नं0 22 रकबा 09 बीघा 09 बिस्वा वाके ग्राम ढीकवाड से बंदोबस्त संवत 2042 मे कायम नये ख0नं0 41,31,36,39, 42, 43 का रकबा साबिक रकबा के मुताबिक कुल 02.36 है0 कायम किया जाना चाहिए था लेकिन बंदोबस्त विभाग द्वारा उक्त ख.नं. का 67 एयर रकबा बढाते हुये 03.03 हैक्टर गलत दर्ज कर दिया गया जिसमे 29 एयर रकवा वादीगण के ख0 नं0 34 का बैजा शामिल कर दिया गया, जिसे वादीगण दुरूस्त करवाकर अपने ख.न. के रकबा की पूर्ति करवाने के मुस्तहक है? इस तनकी का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत साबिक व हाल रिकॉर्ड के अनुसार तनकी नं.03 मे किये गये विवेचन से स्पष्ट हो चुका है कि भू प्रबंध विभाग द्वारा हाल नं0 का कायम करते समये साबिक रकबे अनुसार विवादित आराजी का रकबा दर्ज न किया जाकर रकबे मे कमी बेसी की गई है। जिसे वादीगण दुरूस्त कराने के अधिकारी है। इसलिए यह तनकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकी नं. 05:– आया वादीगण की आराजी का रकबा मौके पर साबिक रकबा के मुताबिक 50 एयर पुरा है लेकिन रिकॉर्ड मे वादीगण की आराजी का रकबा 29 एयर कम दर्ज कर दिया गया जिसे वादीगण दुरूस्त कराने के मुस्तहक है? इस तनकी का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा साक्ष्य मे पेश किये गये शपथ पत्रों के आधार पर साबित है कि मौके पर वादीगण का रकबा पुरा है लेकिन जमाबंदी संवत 2073–76 प्रदर्श 01 के अनुसार वादीगण का रकबा कम दर्ज किया गया है। जिसकी दुरूस्ती कराने के वादीगण मुस्तहक है इसलिए यह तनकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकी नं0 06::– आया बंदोबस्त संवत 2042 के कर्मचारीयों द्वारा कोई गलती नही कि गई वादीगण की आराजी का रकबा मौके के मुताबिक सही दर्ज किया गया है इसलिए वादीगण कोई रकबा दुरूस्त करवाने के अधिकारी नही है? इस तनकी का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी द्वारा इस तनकी को सिद्व करने के लिए कोई ठोस प्रमाण पेश नही किया ना ही कोई मौका रिपोर्ट पेश की गई। इसलिए यह तनकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार किये गये विवेचनानुसार वाद वादीगण साबित होता है वाद वादीगण काबिले डिक्री करार पाता है।

6. अतः आदेश है किः–

वाद वादीगण इस्तकरारहक व दुरूस्ती इन्द्राज बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर हाल ख.नं. हाल 39/01.65 सिवायचक बारानी वाके ग्राम ढीकवाड तह0 नीमराना मे से 0.29 हैक्टर रकबा कम किया जा कर उसका रकबा 01.65 के स्थान पर 1.36 हैक्टर दर्ज किया जावे तथा उक्त 29 एयर रकबा के हिस्से अनुसार खातेदार वादीगण को घोषित किया जाता है उक्त 29 एयर रकबा को वादीगण के हाल ख0नं0 34/0.21 वाके ग्राम ढीकवाड मे सामिल किया जाकर उसका रकबा 0.21 के स्थान पर 0.50 दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार हाल राजस्व रिकॉर्ड व जमाबंदीयात व ख0गिरदावरी व राजस्व नक्शा मे संशोधन करने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार ही बाद दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदारामद किया जावे। खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेगे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 27·7·2023 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय मे घोषित किया गया।

27/7/2023

मुकुन्द सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :- मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
100/2022	25.03.2022	27.7.2023

उनवान

1. विक्रमसिंह पुत्र पन्नालाल जाति खाती निवासी ग्राम ढीकवाड तह0 नीमराना।
2. कृष्णा पुत्री पन्नालाल जाति खाती निवासी ग्राम ढीकवाड तह0 नीमराना।
3. जनती पत्नी पन्नालाल जाति खाती निवासी ग्राम ढीकवाड तह0 नीमराना।
4. जयप्रकास पुत्र पन्नालाल जाति खाती निवासी ग्राम ढीकवाड तह0 नीमराना।
5. भूपेन्द्र कुमार पुत्र पन्नालाल जाति खाती निवासी ग्राम ढीकवाड तह0 नीमराना।
6. रूपकिशोरी पुत्री पन्नालाल जाति खाती निवासी ग्राम ढीकवाड तह0 नीमराना।
7. मुकेश कुमार पुत्र दीनदयाल जाति खाती निवासी ग्राम ढीकवाड तह0 नीमराना।
8. महेश कुमार पुत्र दीनदयाल जाति खाती निवासी ग्राम ढीकवाड तह0 नीमराना।
9. शकुन्तला पुत्री दीनदयाल जाति खाती निवासी ग्राम ढीकवाड तह0 नीमराना।
10. सरवण पत्नी दीनदयाल जाति खाती निवासी ग्राम ढीकवाड तह0 नीमराना

वादीगण।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय, अलवर।
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार,नीमराना।

:- प्रतिवादीगण।

दावा दुरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88,188 आर0टी0एक्ट0

उपस्थिती:- 1 श्री मकरध्वज शर्मा एड0 वादीगण की ओर से।
2 प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा।

दिनांक :- 27.7.2023

--::पर्चा डिक्री::--

वाद वादीगण इस्तकरारहक व दुरूस्ती इन्द्राज बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर हाल ख.नं. हाल 39/01.65 सिवायचक बारानी वाके ग्राम ढीकवाड तह0 नीमराना मे से 0.29 हैक्टर रकबा कम किया जा कर उसका रकबा 01.65 के स्थान पर 1.36 हैक्टर दर्ज किया जावे तथा उक्त 29 एयर रकबा के हिस्से अनुसार खातेदार वादीगण को घोषित किया जाता है उक्त 29 एयर रकबा को वादीगण के हाल ख0नं0 34/0.21 वाके ग्राम ढीकवाड मे सामिल किया जाकर उसका रकबा 0.21 के स्थान पर 0.50 दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार हाल राजस्व रिकॉर्ड व जमाबंदीयात व ख0गिरदावरी व राजस्व नक्शा मे संशोधन करने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार ही बाद दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदारमद किया जावे। खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेगे।

27/7/2023

मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)